कुलबीर सिंह धलिवाल और अन्य बनाम संघ क्षेत्र,

901

चंडीगढ़ और अन्य (मंजरी नेहरू कौल, जे.)

अजय कुमार मित्तल और मंजरी नेहरू कौल से पहले, जे. जे.

कुलबीर सिंह धलिवाल और अन्य-याचिकाकर्ता

बनाम

संघ क्षेत्र, चंडीगढ़ और अन्य -

प्रतिवादीगण

सीडब्ल्यूपी **No.12188** ऑफ **2018**

06 मई, 2019

(I) भारत का संविधान, **1950-Art.226** और **254-**सिविल प्रक्रिया संहिता, **1908-**एस. **20-**वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन (एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई.) अधिनियम, **2002-**एस. **3** और **35-**संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, **1882-**एस. **41** और **100-**महाराष्ट्र जमाकर्ताओं के ब्याज का संरक्षण (वित्तीय प्रतिष्ठानों में) (एम. पी. आई. डी.) अधिनियम, **1999-**एस. **4** और **5-** ऋण और दिवालियापन की वसूली अधिनियम, **1993-**एस. **31-**बी.-याचिकाकर्ता, एक भूखंड/घर के नीलामी खरीदार, ने प्रतिवादियों/चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा बिक्री प्रमाण पत्र पंजीकृत करने से इनकार को चुनौती दी।

ऋण प्राप्त करने के लिए बैंक के साथ एक सुरक्षित संपत्ति के रूप में गिरवी रखी गई संपत्ति-ऋणकर्ता भुगतान में चूक करता है और उसके ऋण खाते को एन. पी. ए. के रूप में वर्गीकृत किया जाता है-सरफेसी अधिनियम के तहत शुरू की गई कार्यवाही-याचिकाकर्ताओं ने नीलामी और बिक्री प्रमाण पत्र जारी करके संपत्ति खरीदी-चंडीगढ़ प्रशासन के अधिकारियों ने बिक्री प्रमाण पत्र को पंजीकृत करने से इनकार कर दिया क्योंकि संपत्ति पहले से ही एम. पी. आई. डी. अधिनियम के तहत कुर्क थी-उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि सरफेसी अधिनियम एक केंद्रीय विधान होने के नाते, इसके प्रावधान एम. पी. आई. डी. अधिनियम के प्रावधानों पर हावी होंगे, जो एक राज्य अधिनियम है-रिलायंस ने संविधान के **Art.254** पर रखा है।

माना जाता है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों का भार यह है कि एक सुरक्षित ऋण के दायित्व का निर्वहन क्राउन ऋण या किसी अन्य ऋण के दायित्व पर प्राथमिकता लेगा।

(पैरा 7)

आगे यह अभिनिर्धारित किया कि पहला प्रश्न, जो विचार के लिए उत्पन्न होता है, वह यह है कि क्या एम. पी. आई. डी. अधिनियम, जो की एक राज्य विधान है, के तहत जारी दिनांक 22.06.2015 की अधिसूचना, सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों को ओवरराइड कर सकती है, जो एक केंद्रीय अधिनियम है और उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत, विचाराधीन संपत्ति की नीलामी की गई थी।

(पैरा 8)

आगे यह माना गया की अनुच्छेद 254 का एक वाचन

भारत का संविधान इस बात में कोई संदेह नहीं छोड़ता है कि संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची III के तहत मामलों में संसदीय सर्वोच्चता बनाए रखी जानी चाहिए।किसी विषय पर केंद्र और राज्य के बीच संघर्ष की स्थिति में, जिस पर दोनों द्वारा कानून बनाया जा सकता था, इसमें कोई संदेह नहीं है कि केंद्रीय विधान सर्वोच्च होगा।देश भर में कानून का समान अनुप्रयोग निस्संदेह भारतीय न्यायशास्त्र की मूल विशेषता है और यदि किसी केंद्रीय और राज्य के विधान और राज्य के विधान के बीच केंद्रीय विधान के प्रतिकूल होने के कारण टकराव होता है, तो पहला निष्क्रिय हो जाएगा।

(पैरा 10)

(II) इसके अलावा**,** न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि किसी प्रतिभूति ऋण की वसूली का अधिकार किसी भी अन्य ऋण की वसूली के अधिकार पर प्राथमिकता लेगा**,** जिसमें ऋण और दिवालियापन की वसूली अधिनियम**, 1993** की धारा **31-**बी के संदर्भ में मुकुट ऋण भी शामिल है**,** जो एक गैर**-**अस्थाई खंड के साथ शुरू होता है।

यह अभिनिर्धारित किया कि उच्चतम न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों में बार-बार दोहराया है कि एक सुरक्षित लेनदार का अपने ऋणों की वसूली करने का अधिकार हमेशा एक पूर्व अधिकार होगा, यहां तक कि मुकुट ऋण या किसी अन्य ऋण की वसूली के अधिकार पर भी।

(पैरा 14)

इसके अलावा माना गया कि ऋण वसूली और दिवालियापन की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 31-बी, जो एक गैर-अस्थाई खंड के साथ शुरू होती है, के ऊपर पुनः प्रस्तुत किए जाने से यह स्पष्ट हो जाता है कि एक सुरक्षित लेनदार के सुरक्षित ऋण प्राप्त करने के अधिकार को केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण को देय राजस्व, कर,

उपकर और दरों सहित सभी ऋणों और सरकारी बकाया पर प्राथमिकता होगी।

(पैरा 17)

(III) अधिकारिता के प्रश्न पर**,** धारा **20** सी**.** पी**.** सी**.** और अनुच्छेद **226 (2)** पर भरोसा करते हुए**,** उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि उसे मामले की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र था**,** क्योंकि कार्रवाई के कारण का हिस्सा उसके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर अर्जित हुआ था।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि जहां तक तत्काल याचिका पर विचार करने के लिए इस न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के प्रश्न का संबंध है, हमने उस पर अपना चिंतित विचार किया है और इस विचारशील राय का विचार किया है कि इस न्यायालय के पास तत्काल रिट याचिका पर सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र होगा।सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 20, जो किसी न्यायालय की अधिकारिता के मुद्दे से संबंधित है, बिना किसी अनिश्चित शब्दों में यह निर्धारित करती है कि ऐसा न्यायालय जिसके अधिकार क्षेत्र के भीतर पूरी तरह या आंशिक रूप से कुलबीर सिंह धलिवाल और अन्य बनाम संघ क्षेत्र,

उत्पन्न होता है या जहां प्रतिवादी रहता है या व्यवसाय करता है, उसके पास किसी मामले का परीक्षण करने का अधिकार क्षेत्र होगा।

(पैरा 19)

इसके अलावा ये माना गया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के खंड (2) में यह प्रावधान है कि खंड (1) द्वारा किसी भी सरकार, प्राधिकारी या व्यक्ति को निर्देश, आदेश या रिट जारी करने के लिए प्रदत्त शक्ति का उपयोग उन क्षेत्रों के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले किसी भी उच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, जिनके भीतर ऐसी शक्ति के प्रयोग के लिए पूरी तरह से या आंशिक रूप से कार्रवाई का कारण उत्पन्न होता है, भले ही ऐसी सरकार या प्राधिकरण का स्थान या ऐसे व्यक्ति का निवास उन क्षेत्रों के भीतर न हो।

(पैरा 20)

इसके अलावा ये माना गया कि यह कहने के लिए पर्याप्त है कि एक रिट याचिका उस उच्च न्यायालय में विचारणीय है जिसके अधिकार क्षेत्र के भीतर कार्रवाई के कारण का एक हिस्सा भी उत्पन्न हो सकता है।विचाराधीन संपत्ति चंडीगढ़ में स्थित है, संपत्ति की नीलामी चंडीगढ़ में हुई थी और महत्वपूर्ण रूप से, पंजाब नेशनल बैंक की शाखा जिसमें से याचिकाकर्ताओं द्वारा ऋण लिया गया था, वह भी चंडीगढ़ में स्थित थी।इस प्रकार, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस न्यायालय के पास तत्काल सुनवाई

और निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र है क्योंकि न केवल इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के भीतर कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ है, बल्कि जैसा कि पहले ही ऊपर देखा जा चुका है, विचाराधीन संपत्ति भी इस न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में स्थित है।

(पैरा 21)

गौरव चोपड़ा, अधिवक्ता के साथ

लवलीन धलिवाल, अधिवक्ता

याचिकाकर्ताओं के लिए

2018 के सी. डब्ल्यू. पी. No.12188 में और प्रतिवादीगण संख्या 4 से 6 के लिए

2018 के सीडब्ल्यूपी No.12543 में।

संजीव सिंह, निकिता गर्ग के साथ अधिवक्ता, अधिवक्ता

2018 के सी. डब्ल्यू. पी. No.12543 में याचिकाकर्ता के लिए और प्रत्यर्थी संख्या 3 के लिए

2018 के सीडब्ल्यूपी No.12188 में।दीपाली पुरी, अधिवक्ता और V.K.Sachdeva, अधिवक्ता

2018 904 के सी. डब्ल्यू. पी. No.12188 में प्रतिवादी संख्या 1 के लिए

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2019(1)

मंजरी नेहरू कौल**,** जे**.**

(1) यह आदेश उपरोक्त दो रिट याचिकाओं का निपटारा करेगा क्योंकि दोनों रिट याचिकाओं में शामिल मुद्दा समान है। 2018 के सी. डब्ल्यू. पी. No.12188 से मामले के संक्षिप्त तथ्य निकाले जा रहे हैं।

(2) तत्काल रिट याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत दायर की गई है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उप-पंजीयक, केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़-प्रतिवादी संख्या 2 और दिनांक 14.03.2018 (अनुलग्नक पी-12) द्वारा पारित आदेश को रद्द करने के लिए दायर किया गया है।और आदेश दिनांक 16-04-2018 (अनुलग्नक P-16) उपायुक्त-सह-पंजीयक, केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़-प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा

पारित। किया गया।

(3) अभिलेख से यह स्पष्ट है कि विचाराधीन संपत्ति के पूर्व मालिक अर्थात मेसर्स राहुल सेल्स लिमिटेड ने अपने निदेशकों स्वर्गीय ओंकार आनंद, राहुल आनंद और रेणु आनंद के माध्यम से राशि मे ऋण सुविधा का लाभ उठाया था 17.12.2013 को मकान नं 1037, प्लॉट संख्या 3, स्ट्रीट संख्या E, सेक्टर 27-B, चंडीगढ़ के समान बंधक के माध्यम से सुरक्षा के खिलाफ 13.15 करोड़ रुपये । प्रत्यर्थी-बैंक ने 31.03.2014 पर भारत की प्रतिभूतिकरण संपत्ति पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित की केंद्रीय रजिस्ट्री के साथ पंजीकृत सुरक्षित संपत्ति का विवरण मिला था। उक्त ऋण खाता बाद में अनियमित हो गया क्योंकि उधारकर्ता वित्तीय अनुशासन बनाए नहीं रख सकते थे और इसलिए, इसे गैर-निष्पादित संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया था।इसके बाद, प्रत्यर्थी-बैंक ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज अधिनियम, 2002 (संक्षेप में 'सरफेसी अधिनियम') के प्रावधानों के तहत वसूली की कार्यवाही शुरू की, जिसकी परिणति सुरक्षित परिसंपत्ति के कब्जे में लेने में हुई।यह विवादित नहीं है कि विचाराधीन संपत्ति की बिक्री के लिए समाचार पत्र में 16.09.2016 (अनुलग्नक पी-6) दिनांकित एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की गई थी।चूंकि उक्त नीलामी में कोई बोलीदाता आगे नहीं आया था, इसलिए रुपये के आरक्षित मूल्य पर 03.05.2017 के लिए दूसरी सार्वजनिक नीलामी तय की गई थी। 11.50 करोड़ रुपये दिनांकित 01.04.2017 (अनुलग्नक पी-7) के नोटिस के माध्यम से जिसमें याचिकाकर्ता सबसे अधिक बोली लगाने वालों के रूप में उभरे।रुपये की पूरी बोली राशि जमा करने के बाद। रुपये के आरक्षित मूल्य के मुकाबले 13.92 करोड़। प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 9 (6) के तहत बिक्री प्रमाण पत्र के साथ प्रतिवादी संख्या 3-बैंक द्वारा याचिकाकर्ताओं को संपत्ति का भौतिक कब्जा सौंप दिया गया था।यहां इस बात पर जोर दिया जा सकता है कि सार्वजनिक सूचना में किसी भी बकाया या बोझ के बारे में कोई उल्लेख नहीं था, जो उक्त संपत्ति के खिलाफ हो सकता है।

(4) 06.03.2018 को जब याचिकाकर्ताओं और सुरक्षित लेनदार के अधिकृत अधिकारी ने प्रतिवादी संख्या 2 यानी उप कुलबीर सिंह धलिवाल और अन्य बनाम संघ क्षेत्र से संपर्क किया,

पंजीयक, केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ ने पंजीकरण अधिनियम, 1908 (संक्षेप में '1908 अधिनियम') के तहत बिक्री प्रमाण पत्र के पंजीकरण के लिए उसी दिनांकित 14.03.2018 के आदेश (अनुलग्नक पी-12) के माध्यम से यह मानते हुए पंजीकरण करने से इनकार कर दिया कि विचाराधीन संपत्ति पहले से ही महाराष्ट्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र जमाकर्ताओं के ब्याज संरक्षण (वित्तीय प्रतिष्ठानों में) अधिनियम, 1999 (संक्षिप्तता 'एम. पी. आई. डी.

अधिनियम' के लिए) की धारा 4 (1) और 5 (1) के तहत दिनांक 22.06.2015 की अधिसूचना के तहत प्रश्न पहले ही सलग्न किया जा चुका है ।बिक्री प्रमाणपत्र के पंजीकरण से इनकार करने पर, याचिकाकर्ताओं ने 1908 अधिनियम की धारा 72 के तहत उपायुक्त-सह-पंजीयक-प्रतिवादी संख्या 1 के समक्ष अपील को प्राथमिकता देकर दिनांक 14.03.2018 (अनुलग्नक पी-12) के आदेश का विरोध किया, जिन्होंने दिनांक 16.04.2018 (अनुलग्नक पी-16) के आदेश के माध्यम से उसी को खारिज कर दिया।उपरोक्त तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में ही इस न्यायालय के समक्ष तत्काल रिट याचिका दायर की गई थी।

(5) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं/नीलामी खरीदारों के पक्ष में क्रमशः उत्तरदाता संख्या 2 और 1 द्वारा पारित 14.03.2018 (अनुलग्नक पी-12) और 16.04.2018 (अनुलग्नक पी-16) के आदेश न केवल अवैध और मनमाने थे, बल्कि विशेष रूप से 1908 के अधिनियम के साथ-साथ सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों का भी उल्लंघन करते थे। विद्वान वकील ने आगे आग्रह किया कि प्रतिवादीगण संख्या 4-वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक, आर्थिक अपराध शाखा, मुंबई और प्रतिवादीगण संख्या 5-महाराष्ट्र सरकार द्वारा कुर्की आदेश जारी करके संपत्ति के खिलाफ लागू किए जाने वाले प्रतिबंध को अलग किया जाना चाहिए क्योंकि सुरक्षित ऋण की वसूली की मांग करने पर सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों को अन्य कानूनों पर प्राथमिकता दी जाएगी।याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने आग्रह किया कि एम. पी. आई. डी. अधिनियम के तहत कुर्की के कारण उनके अधिकारों में कटौती नहीं की जा सकती क्योंकि उन्होंने बोली राशि का पूरा और अंतिम भुगतान कर दिया था।याचिकाकर्ताओं ने इस तथ्य की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया कि विवादित अधिसूचना दिनांक 22.06.2015 के माध्यम से संपत्ति की कुर्की अभी भी पूर्ण (एम. पी. आई. डी. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार) नहीं हुई थी क्योंकि नामित न्यायालय ने अभी तक एम. पी. आई. डी. अधिनियम की धारा 7 (6) के तहत आदेश पारित नहीं किया था। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि सरफेसी अधिनियम की धारा 35 के प्रावधानों के अनुसार, यह अधिनियम वर्तमान में लागू किसी भी अन्य कानून पर हावी होगा।इसके अलावा, प्रतिवादी द्वारा याचिकाकर्ताओं के पक्ष में विचाराधीन संपत्ति की बिक्री को संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 की धारा 41 और धारा 100 के प्रावधानों द्वारा संरक्षित किया गया था।इसके अलावा, यह तर्क दिया गया कि प्रतिवादी No.4-Sr द्वारा जारी किया गया 31.08.2015 (अनुलग्नक पी-13) दिनांकित पत्र। आर्थिक अपराध शाखा, मुंबई के पुलिस निरीक्षक 906 में रखी गई संपत्ति की फाइल पर उपलब्ध नहीं थे।

एस्टेट कार्यालय, केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ द्वारा याचिकाकर्ता संख्या 2 द्वारा अपने वकील के साथ-साथ प्रतिवादी-बैंक के वकीलों के साथ फाइल के निरीक्षण के दौरान भी 07.03.2018 पर और यह पूर्वगामी चूक के कारण था, नीलामी

की तारीख यानी 03.05.2017 पर उचित परिश्रम के बावजूद बैंक या याचिकाकर्ताओं को कथित कुर्की के बारे में पता नहीं चल सकता था। उन्होंने यह भी आग्रह किया कि एक सुरक्षित लेनदार द्वारा ऋण की वसूली का अधिकार क्राउन ऋण या किसी अन्य ऋण की वसूली के अधिकार पर प्राथमिकता लेगा। अंत में, उन्होंने अनुरोध किया कि प्रतिवादीगण संख्या 4 और 5 को याचिकाकर्ताओं के पक्ष में बिक्री प्रमाण पत्र के पंजीकरण में हस्तक्षेप करने से रोका जाए और आगे यह अनुरोध किया जाए कि प्रतिवादीगण संख्या 2 (उप-पंजीयक, केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़) को विवादग्रस्त संपत्ति के संबंध में बिक्री प्रमाण पत्र पंजीकृत करने का निर्देश जारी किया जाए।

(6) पक्षों की ओर से विद्वानों की सलाह सुनी और उनकी सहायता से अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अध्ययन किया। यह उल्लेख किया जा सकता है कि महाराष्ट्र सरकार (2018 के सी. डब्ल्यू. पी. No.12188 में प्रतिवादी संख्या 5 और 2018 के सी. डब्ल्यू. पी. No.12543 में प्रतिवादी संख्या 1 और) और आर्थिक अपराध शाखा (2018 के सी. डब्ल्यू. पी. No.12188 में प्रतिवादी संख्या 4) की ओर से कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, भले ही उन्हें विधिवत सेवा प्रदान की गई।

(7) याचिकाकर्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों के गीत का भार यह है कि एक सुरक्षित ऋण के दायित्व का निर्वहन क्राउन ऋण या किसी अन्य ऋण के दायित्व पर प्राथमिकता लेगा।

(8) पहला सवाल, जो विचार के लिए उठता है, वह यह है कि क्या एम. पी. आई. डी. अधिनियम, जो कि एक राज्य विधान है, के तहत जारी की गई अधिसूचना, एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम के प्रावधानों को ओवरराइड कर सकती है, जो कि एक केंद्रीय अधिनियम है और उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत, विचाराधीन संपत्ति की नीलामी की गई थी।

(9) भारत के संविधान के अनुच्छेद 254 के प्रावधानों का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 254 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि केंद्रीय विधान और राज्य विधान के बीच प्रतिकूलता या विसंगति के मामले में, पूर्ववर्ती प्रबल होगा। संदर्भ की सुविधा के लिए, अनुच्छेद 254 को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

"254 संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच विसंगति

और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानून **-**

(1) यदि किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई विधि का कोई उपबंध संसद द्वारा बनाई गई विधि के किसी उपबंध के, जिसे संसद अधिनियमित करने के लिए सक्षम है, या समवर्ती सूची में उल्लिखित मामलों में से किसी एक के संबंध में किसी मौजूदा विधि के किसी उपबंध के प्रतिकूल है, तो कुलबीर सिंह ढालीवाल और अन्य बनाम संघ क्षेत्र के अधीन रहते हुए, खंड (2) के उपबंध, संसद द्वारा बनाई गई विधि, चाहे वह ऐसे राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई विधि से पहले या बाद में पारित की गई हो, या, यथास्थिति, विद्यमान विधि प्रबल होगी और राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई विधि,

प्रतिकूलता की सीमा तक, शून्य होगी।

(2) जहां समवर्ती सूची में प्रगणित मामलों में से किसी एक के संबंध में किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि में संसद द्वारा बनाई गई पूर्ववर्ती विधि या उस मामले के संबंध में किसी मौजूदा विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल कोई प्रावधान है, तो ऐसे राज्य के विधानमंडल द्वारा इस प्रकार बनाई गई विधि, यदि राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित की गई है और उसे उस राज्य में उसकी सहमति प्राप्त हो गई है, तो उस राज्य मे

बशर्ते कि इस खंड की कोई भी बात संसद को किसी भी समय एक ही मामले के संबंध में किसी भी कानून को अधिनियमित करने से नहीं रोकेगी, जिसमें निम्नलिखित विधानमंडलों द्वारा इस प्रकार बनाए गए कानून को जोड़ने, संशोधन करने, बदलने या निरस्त करने वाली कोई कानून भी शामिल है।

(10) भारत के संविधान के अनुच्छेद 254 को पढ़ने से इस बात में कोई संदेह नहीं है कि संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची III के तहत मामलों में संसदीय सर्वोच्चता बनाए रखी जानी चाहिए। किसी विषय पर केंद्र और राज्य के बीच संघर्ष की स्थिति में, जिस पर दोनों द्वारा कानून बनाया जा सकता था, इसमें कोई संदेह नहीं है कि केंद्रीय विधान सर्वोच्च होगा। देश भर में कानून का समान अनुप्रयोग निस्संदेह भारतीय न्यायशास्त्र की मूल विशेषता है और यदि किसी केंद्रीय और राज्य के विधान और राज्य के विधान के बीच केंद्रीय विधान के प्रतिकूल होने के कारण टकराव होता है, तो पहला निष्क्रिय हो जाएगा।

(11) सर्वोच्च न्यायालय ने यूको बैंक के रूप में अपने फैसले में और

एन. आर.बनाम दीपक देबबर्मा और ओआरएस। 1 मान लिया है कि मामले में

केंद्रीय और राज्य अधिनियम के प्रावधानों के बीच असंगति या असंगति, केंद्रीय कानून प्रबल होगा। उक्त निर्णय के प्रासंगिक उद्धरण को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत करना उचित होगाः

7. केंद्रीय और राज्य अधिनियमों के प्रावधानों के बीच असहमति या विसंगति दो स्थितियों में हो सकती है। पहली, सातवीं अनुसूची की सूची III में उल्लिखित प्रविष्टि के किसी भी क्षेत्र पर केंद्रीय और राज्य अधिनियम के मामले में। (समवर्ती सूची)। प्रतिकूलता या असंगति की ऐसी स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 254 के प्रावधान लागू होंगे। यदि ऐसी विसंगति है, तो अनुच्छेद 254 (1) यह बहुत स्पष्ट करता है कि केंद्रीय कानून अनुच्छेद 254 (2) के प्रावधानों के अधीन और आगे अनुच्छेद 254 (2) के प्रावधान के अधीन रहेगा। मेसर्स होचस्ट में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दी गई राय से उपरोक्त स्थिति स्पष्ट होगी।

फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड और ओआरएस बनाम बिहार राज्य और

ओआरएस., (1983) 4 एससीसी 45। उपरोक्त राय का पैरा 67, जिस पर उपयोगी रूप से ध्यान दिया जा सकता है, निम्नलिखित शब्दों में है 67. संविधान के अनुच्छेद 254 में पहले यह प्रावधान किया गया है कि समवर्ती सूची में

सूचीबद्ध विषयों के संबंध में केंद्रीय और राज्य कानून के बीच संघर्ष की स्थिति में क्या होगा और दूसरा, इस तरह के संघर्ष को हल करने के लिए। अनुच्छेद 254 (1) सामान्य नियम का प्रतिपादन करता है कि समवर्ती क्षेत्र में किसी संघ और राज्य के कानून के बीच संघर्ष की स्थिति में, पहले वाला कानून दूसरे पर हावी होता है। खंड (1) में कहा गया है कि यदि किसी समवर्ती विषय से संबंधित राज्य का कानून

'उस विषय से संबंधित संघ की विधि के प्रतिकूल, तो ,

चाहे केन्द्रीय कानून समय से पहले हो या बाद में, केन्द्रीय कानून प्रबल होगा और राज्य का कानून, इस तरह की अस्वीकृति की सीमा तक, शून्य होगा। खंड (1) में निर्धारित सामान्य नियम के लिए, खंड (2) एक अपवाद शामिल करता है।, अर्थात यदि राष्ट्रपति किसी ऐसे राज्य के कानून को मंजूरी देता है जो उसके विचार के लिए आरक्षित किया गया है, तो यह संघ के पहले के कानून, दोनों कानूनों, जो एक समवर्ती विषय से संबंधित हैं, के प्रतिकूल होने के बावजूद प्रबल होगा। ऐसे मामले में, केंद्रीय अधिनियम, राज्य अधिनियम को केवल दोनों के बीच विसंगति की सीमा तक ही रास्ता देगा, और इससे अधिक नहीं। संक्षेप में, किसी समवर्ती विषय से संबंधित पिछले संघ कानून के साथ असंगत राज्य अधिनियम के लिए राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने का परिणाम यह होगा कि राज्य अधिनियम उस राज्य में प्रबल होगा और केंद्रीय अधिनियम के प्रावधानों को केवल उस राज्य पर लागू करने में ओवरराइड करेगा। यदि संसद खंड (2) के परंतुक के तहत कानून बनाती है तो राज्य कानून की प्रधानता को हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 254 (2) का परंतुक केंद्रीय संसद को प्रत्यक्ष रूप से या कुलबीर सिंह ढालीवाल और अन्य बनाम संघ क्षेत्र द्वारा किसी अप्रिय राज्य कानून को निरस्त करने या संशोधित करने का अधिकार देता है।

स्वयं राज्य के कानून के प्रतिकूल कानून अधिनियमित करते हुए

'एक ही मामले' का सम्मान करें। भले ही

संसद द्वारा बनाया गया अगला कानून किसी राज्य के कानून को स्पष्ट रूप से निरस्त नहीं करता है, फिर भी, जैसे ही संसद का पश्चात्वर्ती कानून बनाया जाता है, राज्य का कानून अमान्य हो जाएगा। जब दोनों कानूनों के बीच सीधा टकराव होता है तो राज्य का कानून संघ के कानून के खिलाफ होगा। ऐसी घृणा तब भी उत्पन्न हो सकती है जब दोनों कानून एक ही क्षेत्र में काम करते हैं और दोनों संभवतः एक साथ नहीं खड़े हो सकते हैं:

ज़वेरभाई अमैदास को देखें

बनाम बॉम्बे राज्य, **(1955) 1** एस. सी. आर. **799;** एम. करुणानिधि बनाम भारत संघ, **(1979) 3** एस. सी. आर. **254** और टी. बरई बनाम हेनरी आह हो, **(1983) 1** एस. सी. सी. **177**।"

8. उपरोक्त दृष्टिकोण को डब्ल्यू. बी. राज्य में दोहराया गया है।

बनाम केसोरम इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य(2004) 10 एससीसी

201. उपरोक्त मुद्दे पर इस न्यायालय के कई अन्य निर्णय हैं। हालाँकि, इसके लिए किसी भी उल्लेख की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि इस तरह का कोई भी संदर्भ केवल उन चर्चाओं का गुणा होगा जो एक सुलझा हुआ मुद्दा प्रतीत होता है। हालाँकि, वर्तमान मामले में, इस न्यायालय के समक्ष प्रश्न सूची III (समवर्ती सूची) में प्रविष्टि से संबंधित केंद्रीय और राज्य कानून के बीच प्रतिकूलता का नहीं है। इसलिए मामले के उपरोक्त पहलू पर और ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होगी।"

(12) इस प्रकार, तय किए गए कानून के आलोक में, एसएआरएफएईएसआई अधिनियम के तहत कार्यवाही, बिना किसी संदेह के, एम. पी. आई. डी. अधिनियम पर प्रधानता रखेगी।

(13) अगले सवाल पर आते हुए कि क्या एक सुरक्षित ऋण की वसूली एक मुकुट ऋण पर प्राथमिकता लेगी, मुद्दा अब समाकलन के लिए नहीं है।

(14) उच्चतम न्यायालय ने अपनी विभिन्न घोषणाओं में बार-बार दोहराया है कि एक सुरक्षित लेनदार का अपने ऋणों की वसूली करने का अधिकार हमेशा एक पूर्व अधिकार होगा, यहां तक कि मुकुट ऋण या किसी अन्य ऋण की वसूली के अधिकार पर भी। हम अपने विचार में देना बैंक बनाम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से मजबूत हैं।

देना बैंक बनाम भीखाभाई प्रभुदास पारेख 2, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम सिकॉम लिमिटेड 3

2 2000(5) एससीसी 694 3 2009 (2) एससीसी 121 910

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2019(1)

और मेसर्स राणा गर्डर्स लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 4.प्रासंगिक

मेसर्स राणा गर्डर्स लिमिटेड के मामले से उद्धरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया हैः

"18. जहां तक कर के रूप में सरकार का बकाया है या

उत्पाद शुल्क आदि का संबंध है, एस. आई. सी. ओ. एम. लिमिटेड के मामले (उपरोक्त) में न्यायालय की राय थी कि बकाया राशि की वसूली के लिए क्राउन के अधिकार विषय के अधिकार पर हावी होंगे। क्राउन ऋण का अर्थ है राज्य या राजा को देय ऋण। हालाँकि, ऐसे लेनदारों का अर्थ असुरक्षित लेनदार होना चाहिए। क्राउन ऋण का सिद्धांत सामान्य कानून के सिद्धांत से संबंधित है। जब संसद या राज्य विधानमंडल कोई अधिनियम बनाता है, तो यह सामान्य कानून पर

हावी होगा और इस प्रकार सामान्य कानून के सिद्धांत जो भारत के संविधान के लागू होने की तारीख को मौजूद थे, उन्हें एक वैधानिक प्रावधान के अनुरूप होना चाहिए।एक ऋण, जो सुरक्षित है या जो एक कानून के प्रावधानों के कारण संपत्ति पर पहला प्रभार बन जाता है, उसे क्राउन ऋण पर प्रबल होने के लिए रखा जाना चाहिए जो एक असुरक्षित ऋण है।इस तर्क पर, वित्तीय निगम जैसे सुरक्षित लेनदार को देय ऋण को केंद्रीय उत्पाद शुल्क बकाया की तुलना में प्राथमिकता दी गई थी।

19. इस सिद्धांत के लिए, न्यायालय ने

देना बैंक बनाम भीखाभाई प्रभुदास में फैसला

पारेख एंड कंपनी का मामला (सपा मे) क्राउन ऋणों को प्राथमिकता के सिद्धांत की व्याख्या करते हुए अपने पहले के फैसले का हवाला दिया , इस प्रकारः(एस. आई. सी. ओ. एम लिमिटेड का मामला)

"13 ..... 7.प्राथमिकता का सामान्य कानून सिद्धांत क्या है या

क्राउन ऋणों की हैलसबरी संपत्ति के संबंध में क्राउन के सामान्य अधिकारों से निपटने वाले हैल्सबरी का कहना है कि जहाँ क्राउन का अधिकार और एक विषय का अधिकार एक साथ मिलते हैं और

उसी समय, क्राउन को सामान्य रूप से प्राथमिकता दी जाती है, नियम डिटुर डिग्निओरी (लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड, चौथा संस्करण, खंड 8 , पैरा 1076, पी।666).हर्बर्ट ब्रूम कहते हैंः

"नियम और शर्तों का पालन करें

रेगिस प्रेरेफ़ेरी डिबेट-जहाँ राजा की उपाधि और

एक विषय की उपाधि के साथ, राजा की उपाधि होनी चाहिए

पसंद किया जाता है।इस मामले में डिटुर डिग्निओरी नियम है।..... जहाँ राजा और किसी विषय की उपाधियाँ एक साथ होती हैं,

राजा सब कुछ ले लेता है।..... जहाँ राजा की उपाधि और किसी विषय की उपाधि सहमत होती है, या विवाद में होती है, वहाँ राजा की उपाधि है -

4 2013(10) एस. सी. सी. 746 कुलबीर सिंह धलिवाल और अन्य बनाम संघ क्षेत्र,

चंडीगढ़ और अन्य (मंजरी नेहरू कौल, जे.)

वरीयता दी जाए।"(कानूनी मैक्सिम; 10 वीं संस्करण, पीपी।35-36).

राज्य के ऋणों की प्राथमिकता का यह सामान्य कानून सिद्धांत है

भारत के उच्च न्यायालयों द्वारा 1950 से पहले ब्रिटिश भारत में लागू होने के रूप में मान्यता दी गई थी और इसलिए इस सिद्धांत को अपनाया गया है

संविधान के अनुच्छेद 372 (1) के अर्थ के भीतर "लागू कानून" के रूप में माना जाता है।" (देना बैंक का मामला, एससीसी पी।701,

पैरा 7) इसके अलावा, यह देखा गया था:(देना बैंक का मामला, एससीसी पी।703, पैरा 10)

"10. हालाँकि, क्राउन का तरजीही अधिकार

अन्य लेनदारों पर ऋणों की वसूली सामान्य या असुरक्षित लेनदारों तक ही सीमित है।इंग्लैंड का सामान्य कानून या समानता और सद्भावना (जैसा कि भारत पर लागू होता है) के सिद्धांत क्राउन को अपने ऋणों की वसूली के लिए किसी बंधक या माल के गिरवीदार या किसी सुरक्षित लेनदार पर अधिमानी अधिकार नहीं देते हैं।यह गिर्दावरी या माल गिरवी रखने वाले या सुरक्षित लेनदार पर अपने ऋणों की वसूली का अधिकार है .

यह केवल उन मामलों में है जहां क्राउन का अधिकार है और

विषय एक और उसी समय मिलता है जब क्राउन को आम तौर पर पसंद किया जाता है।जहां राजा का अधिकार शुरू होने से पहले विषय का अधिकार पूर्ण और पूर्ण है, वहां नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि ऐसा कोई समय नहीं है जब दोनों अधिकार संघर्ष में हों, और न ही यह सवाल हो सकता है कि दोनों में से कौन सा उस मामले में प्रबल होना चाहिए जहां विषय का एक अधिकार पहले ही प्रबल हो चुका है।में।

जाइल्स बनाम ग्रोवर**, (1832) 9** बिंग **128:131** ई**.** आर**. 563** मे यह

यह माना गया है कि क्राउन को एक पर कोई वरीयता नहीं है

माल की गिरवी।बैंक ऑफ बिहार बनाम बिहार राज्य **(1972) 3** एस**.** सी**.** सी**. 196** में यह सिद्धांत दिया गया है **-**

इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित करते हुए मान्यता दी गई है कि माल की सुरक्षा पर मोहरे के पक्ष में धन के साथ भाग लेने वाले मोहरे के अधिकारों को मोहरे के अन्य लेनदारों को धन उपलब्ध कराकर माल की वैध जब्ती द्वारा भी समाप्त नहीं किया जा सकता है, जब तक कि मोहरे के दावे को पहले पूरी तरह से संतुष्ट नहीं किया जाता है।रशबेहरी घोष बंधक के कानून (टी. एल. एल., 7th) में कहते हैं

एडन., पी.386) – ‘‘ऐसा लगता है कि भारत में सरकारी ऋण नहीं है।

पूर्व सुरक्षित ऋण पर वरीयता पाने का हकदार नहीं है ।’’20.XXX

21.XXX 912

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2019(1)

22.XXX

23. हम देख सकते हैं कि पहली बार में इसका उल्लेख न केवल सार्वजनिक सूचना में किया गया था, बल्कि बिक्री विलेख/समझौते में भी एक विशिष्ट खंड डाला गया है, इस प्रभाव से कि विचाराधीन संपत्तियों को सभी बाधाओं से मुक्त बेचा जा रहा है।साथ ही

उस समय, एक शर्त यह भी है कि "सभी वैधानिक

भूमि से उत्पन्न होने वाली देनदारियों का वहन

बिक्री विलेख में खरीदार "और" सभी वैधानिक

उक्त संपत्तियों से उत्पन्न होने वाली देनदारियों का वहन विक्रेता द्वारा किया जाएगा और विक्रेता को नहीं रखा जाएगा।

बिक्री के समझौते में जिम्मेदार।" उच्च के अनुसार

न्यायालय, इन वैधानिक देनदारियों में उत्पाद शुल्क देय राशि शामिल होगी।हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय इस खंड के सही इरादे और उद्देश्य से चूक गया है।बिक्री विलेख के साथ-साथ खरीद समझौते में अभिव्यक्तियाँ

संयंत्र और मशीनरी "भूमि से उत्पन्न होने वाली वैधानिक देनदारियों" की बात करते हैं।

कहा गया गुण "(यानी मशीनरी)।इस प्रकार, यह केवल वही वैधानिक दायित्व है जो भूमि और भवन या संयंत्र और मशीनरी से उत्पन्न होता है जिसे खरीदार द्वारा निर्वहन किया जाना है।उत्पाद शुल्क बकाया वे वैधानिक देनदारियाँ नहीं हैं जो भूमि और भवन या संयंत्र और मशीनरी से उत्पन्न होती हैं।भूमि और भवन से उत्पन्न होने वाली सांविधिक देनदारियाँ संपत्ति कर या संपत्ति आदि से संबंधित अन्य प्रकार के उपकर के रूप में हो सकती हैं। इसी तरह, संयंत्र और मशीनरी से उत्पन्न होने वाला वैधानिक दायित्व उक्त मशीनरी पर देय बिक्री कर आदि हो सकता है।जहां तक केंद्रीय उत्पाद शुल्क के बकाया का संबंध है, वे उक्त संयंत्र और मशीनरी या भूमि और भवन से संबंधित नहीं थे और इसलिए उन संपत्तियों से उत्पन्न नहीं हुए थे।पूर्ववर्ती स्वामी द्वारा उत्पाद शुल्क देय वस्तुओं के निर्माण पर उत्पाद शुल्क विभाग के देय। अच्छे अंतर पर उच्च

न्यायालय द्वारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है।

अदालत।"

(15) उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि जो ऋण सुरक्षित है,

चंडीगढ़ और अन्य (मंजरी नेहरू कौल, जे.)

एक क़ानून के प्रावधानों के तहत विचाराधीन संपत्ति पर पहला आरोप लगाया जाता है और एक उसे क्राउन ऋण का रास्ता देना पड़ता है, जो एक असुरक्षित ऋण की प्रकृति में होता है।

(16) इस अदालत ने भी ।

दीपक कुमार बनाम पंजाब राज्य और अन्य (सी. डब्ल्यू. पी.)

2018 का **No.8249)** ने **20.11.2018** पर निर्णय लिया इस न्यायालय द्वारा दर्ज की गई प्रासंगिक टिप्पणियों को इस प्रकार पढ़ा गयाः

"7. संशोधित डब्ल्यू. ई. एफ. 01.09.2016 (एस. आई. सी.) के रूप में अधिनियम की धारा 31-बी निम्नानुसार हैः

31 ख. उस समय लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, सुरक्षित लेनदारों के उन परिसंपत्तियों की बिक्री द्वारा देय और देय सुरक्षित ऋणों को प्राप्त करने के अधिकारों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन पर प्रतिभूति ब्याज बनाया जाता है और केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण को देय राजस्व, कर, उपकर और दरों सहित अन्य सभी ऋणों और सरकारी बकाया पर प्राथमिकता से भुगतान किया जाएगा।

8. उपरोक्त प्रावधान के अवलोकन से इस बात में कोई संदेह नहीं है कि एक सुरक्षित लेनदार के उन परिसंपत्तियों की बिक्री द्वारा देय और देय सुरक्षित ऋणों को प्राप्त करने के अधिकारों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन पर प्रतिभूति ब्याज बनाया जाता है और केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण को देय राजस्व, कर, उपकर और दरों सहित अन्य सभी ऋणों और सरकारी बकाया पर प्राथमिकता से भुगतान करना होगा।

9. इसलिए, यह स्पष्ट रूप से सामने आता है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण को देय राजस्व, कर, उपकर और दरों को किसी सुरक्षित लेनदार द्वारा सुरक्षित संपत्ति की बिक्री द्वारा वसूल किए जाने वाले बकाया पर वरीयता या वरीयता नहीं होगी।इसके अलावा, यह एक स्वीकृत तथ्य है कि प्रत्यर्थी-बैंक ने प्रत्यर्थी-बैंक द्वारा अनुमत ऋण सुविधाओं को सुरक्षित करने के लिए एक सुरक्षित संपत्ति होने के नाते अधिनियम के तहत विचाराधीन संपत्ति की नीलामी की थी, जिसे पिछले मालिक द्वारा उनके पक्ष में विधिवत गिरवी रखा गया था।"

(17) इसके अलावा, ऋण और दिवालियापन की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 31-बी को ऊपर पढ़ा गया है, जो एक गैर-बाधा खंड से शुरू होता है, यह पूरी तरह से स्पष्ट करता है कि एक सुरक्षित लेनदार का सुरक्षित ऋण प्राप्त करने का अधिकार केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण को देय राजस्व, कर, उपकर और दरों सहित सभी ऋणों और सरकारी बकाया पर प्राथमिकता है ।

(18) इस बात पर अधिक जोर नहीं दिया जा सकता है कि विचाराधीन संपत्ति की नीलामी प्रतिवादी-पी. एन. बी. हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा अपने सुरक्षित ऋणों की वसूली के लिए की गई थी और महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी कुर्की आदेश को प्रतिवादी-बैंक के अधिकारों के अनुरूप होना चाहिए।इसलिए, नीलामी की कार्यवाही को उनके तार्किक अंत तक ले जाया जाना चाहिए और हम नीलामी खरीदारों यानी याचिकाकर्ताओं को बिक्री प्रमाण पत्र के पंजीकरण से इनकार करने का कोई कारण नहीं देखते हैं।

(19) जहाँ तक तत्काल याचिका पर विचार करने के लिए इस न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के प्रश्न का संबंध है, हमने उस पर अपना चिंतित विचार किया है और इस विचार पर विचार किया है कि इस न्यायालय के पास तत्काल रिट याचिका पर सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र होगा।सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 20, जो किसी न्यायालय की अधिकारिता के मुद्दे से संबंधित है, बिना किसी अनिश्चितता के यह बताती है कि जिस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के भीतर पूरी तरह से या आंशिक रूप से कार्रवाई का कारण उत्पन्न होता है या जहां प्रतिवादी रहता है या व्यवसाय करता है, उसके पास किसी मामले की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र होगा।वह इस प्रकार हैः

20. जहां प्रतिवादी रहते हैं या कार्रवाई का कारण उत्पन्न होता है, वहां स्थापित किए जाने वाले अन्य मुकदमे-सीमाओं के अधीन

उपर्युक्त, प्रत्येक वाद स्थानीय सीमाओं के भीतर एक न्यायालय में स्थापित किया जाएगा जिसकी अधिकारिता -

(क) प्रतिवादी, या प्रत्येक प्रतिवादी जहां एक से अधिक हैं, मुकदमे के शुरू होने के समय, वास्तव में और स्वेच्छा से रहते हैं, या व्यवसाय करते हैं, या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए काम करते हैं; या

(ख) प्रतिवादियों में से कोई भी, जहां मुकदमा शुरू होने के समय एक से अधिक हैं, वास्तव में और स्वेच्छा से रहते हैं, या व्यवसाय करते हैं, या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए काम करते हैं, बशर्ते कि ऐसे मामले में या तो न्यायालय की अनुमति दी जाती है, या प्रतिवादी जो नहीं रहते हैं, या व्यवसाय करते हैं, या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए काम करते हैं, जैसा कि ऊपर कहा गया है, ऐसी संस्था में सहमत होते हैं; या

(ग) कार्रवाई का कारण, पूरी तरह से या आंशिक रूप से, उत्पन्न होता है।

स्पष्टीकरण-एक निगम को भारत में अपने एकमात्र या प्रमुख कार्यालय में या किसी भी स्थान पर उत्पन्न होने वाली कार्रवाई के किसी भी कारण के संबंध में, जहां उसका अधीनस्थ कार्यालय भी है, ऐसे स्थान पर व्यवसाय करने वाला माना जाएगा।

(20) भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 का खंड (2) कुलबीर सिंह धलिवाल और अन्य बनाम संघ क्षेत्र, यह उपबंध करता है कि खंड (1) द्वारा किसी सरकार, प्राधिकारी या व्यक्ति को निर्देश, आदेश या रिट जारी करने की प्रदत्त शक्ति का प्रयोग उन क्षेत्रों के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले किसी भी उच्च न्यायालय द्वारा भी किया जा सकता है, जिनके भीतर ऐसी शक्ति के प्रयोग के लिए पूरी तरह से या आंशिक रूप से कार्रवाई का कारण उत्पन्न होता है, भले ही ऐसी सरकार या प्राधिकरण का स्थान या ऐसे व्यक्ति का निवास उन क्षेत्रों के भीतर न हो।

(21) यह कहने के लिए पर्याप्त है कि एक रिट याचिका उस उच्च न्यायालय में विचारणीय है जिसके अधिकार क्षेत्र में कार्रवाई के कारण का एक हिस्सा भी उत्पन्न हो सकता है। विचाराधीन संपत्ति चंडीगढ़ में स्थित है, संपत्ति की नीलामी चंडीगढ़ में हुई थी और महत्वपूर्ण बात यह है कि पंजाब नेशनल बैंक की शाखा, जिससे याचिकाकर्ताओं द्वारा ऋण लिया गया था, भी चंडीगढ़ में स्थित थी। इस प्रकार, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस न्यायालय के पास तत्काल सुनवाई और निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र है क्योंकि न केवल इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के भीतर कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ है, बल्कि जैसा कि पहले ही ऊपर देखा जा चुका है, विचाराधीन संपत्ति भी इस न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में स्थित है।

(22) सर्वोच्च न्यायालय ने नवल किशोर शर्मा बनाम भारत संघ और अन्य मामलों में रिट याचिका पर विचार करने के लिए एक न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के मुद्दे पर विस्तार से विचार किया। 5. निर्णय में दर्ज प्रासंगिक टिप्पणियों को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

"10. उपरोक्त में इस न्यायालय द्वारा दी गई व्याख्या

निर्णयों के परिणामस्वरूप नागरिकों को रिट अधिकार क्षेत्र का आह्वान करने में अनुचित कठिनाई और असुविधा हुई। परिणामस्वरूप, संविधान (15 वां) संशोधन अधिनियम, 1963 द्वारा अनुच्छेद 226 में खंड 1 (ए) को जोड़ा गया और बाद में संविधान (42 वां) संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा खंड (2) के रूप में पुनः क्रमांकित किया गया। संशोधित खंड (2) अब निम्नानुसार हैः-

"226. उच्च न्यायालयों की कुछ रिट जारी करने की शक्ति

– (1) अनुच्छेद 32 में कुछ भी होने के बावजूद, प्रत्येक उच्च न्यायालय को, उन सभी क्षेत्रों में, जिनके संबंध में वह अधिकारिता का प्रयोग करता है, किसी भी व्यक्ति या प्राधिकरण को जारी करने की शक्ति होगी, जिसमें उचित मामले भी शामिल हैं, कोई भी सरकार, उन क्षेत्रों के भीतर, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, अनिवार्यता, निषेध, यथास्थिति वारंट और

प्रमाणपत्र, या उनमें से किसी भी प्रकार के रिट शामिल हैं, भाग III द्वारा प्रदत्त किसी भी अधिकार को लागू करने के लिए और किसी अन्य उद्देश्य के लिए।

5 2014 (9) एससीसी 329 916

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2019(1)

(2) खंड (1) द्वारा किसी भी सरकार, प्राधिकरण या व्यक्ति को निर्देश, आदेश या रिट जारी करने की प्रदत्त शक्ति का उपयोग उन क्षेत्रों के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले किसी भी उच्च न्यायालय द्वारा भी किया जा सकता है, जिनके भीतर ऐसी शक्ति के प्रयोग के लिए पूरी तरह से या आंशिक रूप से कार्रवाई का कारण उत्पन्न होता है, भले ही ऐसी सरकार या प्राधिकरण का स्थान या ऐसे व्यक्ति का निवास उन क्षेत्रों के भीतर न हो।

(3) XXXXX

(4) XXXX "

11. खंड (2) में संशोधित प्रावधानों को स्पष्ट रूप से पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि अब उच्च न्यायालय एक रिट जारी कर सकता है जब वह व्यक्ति या प्राधिकरण जिसके खिलाफ रिट जारी की गई है, वह अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर स्थित है, यदि इसका कारण है -

कार्रवाई पूरी तरह से या आंशिक रूप से अदालत के क्षेत्राधिकार के भीतर उत्पन्न होती है।

अधिकार क्षेत्र। संविधान के अनुच्छेद 226 (2) के उद्देश्य के लिए कार्रवाई के कारण, सभी इरादे और उद्देश्य के लिए वही अर्थ निर्धारित किया जाना चाहिए जो सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 20 (सी) के तहत परिकल्पित है। कार्रवाई के कारण को सिविल प्रक्रिया संहिता या संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। कार्रवाई का कारण तथ्यों का एक समूह है जो वादी के सफल होने से पहले मुकदमे में साबित करने के लिए आवश्यक है।

12. XXXXX

13. राजस्थान राज्य और अन्य बनाम मेसर्स स्वाइका प्रॉपर्टीज और अन्य**, (1985) 3** एस**.** सी**.** सी**. 217** के मामले में**,** तथ्य यह है कि

यह था कि प्रत्यर्थी-कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय कलकत्ता में है, उसके पास जयपुर शहर के बाहरी इलाके में कुछ भूमि है, उसे राजस्थान शहरी सुधार अधिनियम, 1959 के तहत भूमि अधिग्रहण के लिए नोटिस दिया गया था। कंपनी को

कलकत्ता में उसके पंजीकृत कार्यालय में विधिवत सूचना दी गई थी। कंपनी, अधिग्रहण की अधिसूचना को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दायर करके पहले विशेष अदालत और अंत में कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष पेश हुई। मामला अंततः इस न्यायालय के समक्ष इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आया कि क्या कलकत्ता में प्रत्यर्थी के पंजीकृत कार्यालय में अधिनियम की धारा 52 (2) के तहत नोटिस की सेवा कार्रवाई के कारण का एक अभिन्न अंग था और क्या यह कलकत्ता उच्च न्यायालय को कुलबीर सिंह धलिवाल और अन्य बनाम संघ क्षेत्र के साथ निवेश करने के लिए पर्याप्त था।

917

चंडीगढ़ और अन्य (मंजरी नेहरू कौल, जे.)

विवादित अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र। इस सवाल का जवाब देते हुए अदालत ने कहाः-

7. XXXXX

8. अभिव्यक्ति "कार्रवाई का कारण" को संक्षिप्त रूप से परिभाषित किया गया है

मुल्ला की सिविल प्रक्रिया संहिता मे संक्षेप ने परिभाषित किया गया है -"'कार्रवाई के कारण' का अर्थ है हर उस तथ्य से है न्यायालय के निर्णय के अपने अधिकार का समर्थन करने का आदेश जिसका यदि पता लगाया जाए तो वादी के लिए यह साबित करना आवश्यक होगा दूसरे शब्दों में, यह तथ्यों का एक समूह है जो उन पर लागू कानून के साथ लिया जाता है जो वादी को प्रतिवादी के खिलाफ राहत का अधिकार देता है। अधिनियम की धारा 52 (2) के तहत प्रतिवादीगण पर 18-बी, ब्रेबोर्न रोड, कलकत्ता, यानी पश्चिम बंगाल राज्य की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर उनके पंजीकृत कार्यालय में केवल नोटिस की सेवा उस क्षेत्र के भीतर कार्रवाई के कारण को जन्म नहीं दे सकती जब तक कि इस तरह के नोटिस की सेवा कार्रवाई के कारण का एक अभिन्न अंग न हो। अधिनियम की धारा 52 (1) के तहत भूमि अधिग्रहण में कार्रवाई का पूरा कारण राजस्थान राज्य के भीतर यानी जयपुर पीठ में राजस्थान उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर उत्पन्न हुआ। इस सवाल का जवाब कि क्या नोटिस देना संविधान के अनुच्छेद 226 (2) के अर्थ के भीतर कार्रवाई के कारण का एक अभिन्न अंग है, कार्रवाई के कारण को जन्म देने वाले विवादित आदेश की प्रकृति पर निर्भर करना चाहिए। अधिनियम की धारा 52 (1) के तहत राज्य सरकार द्वारा 8 फरवरी, 1984 को जारी अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने के साथ ही प्रभावी हो गई क्योंकि इसके बाद अधिसूचित भूमि राज्य सरकार में सभी बाधाओं से मुक्त हो गई।प्रतिवादीगण के लिए यह आवश्यक नहीं था कि वे राज्य सरकार द्वारा धारा 52 (1) के तहत जारी अधिसूचना को रद्द करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक उचित रिट, निर्देश या आदेश देने के लिए धारा 52 (2) के तहत विशेष अधिकारी, नगर योजना विभाग, जयपुर द्वारा उन पर नोटिस की सेवा का अनुरोध करें। यदि उत्तरदाता जयपुर में स्थित अपनी भूमि के अधिग्रहण से व्यथित महसूस करते हैं और 918 के अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका द्वारा अधिनियम

की धारा 52 (1) के तहत राजस्थान राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना की वैधता को चुनौती देना चाहते हैं।

संविधान के अनुसार, इस तरह की राहत देने के लिए प्रतिवादीगण से राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ के समक्ष ऐसी याचिका दायर करके उपाय मांगा जाना था, जहां पूरी तरह से या आंशिक रूप से कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ था।

14. XXXX

15. कुसुम इंगोट्स एंड अलॉयज लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर, (2004) 6 एस. सी. सी. 254 में, इस न्यायालय ने विस्तार से कहा

संविधान के अनुच्छेद 226 के खंड (2), विशेष रूप से सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 20 (सी) और धारा 141 के संदर्भ में 'कार्रवाई का कारण' शब्द के अर्थ पर चर्चा की और कहाः-

"9. यद्यपि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 141 को ध्यान में रखते हुए इसके प्रावधान रिट कार्यवाहियों पर लागू नहीं होंगे, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 20 (सी) और अनुच्छेद 226 के खंड (2) में उपयोग किया गया वाक्यांश समान रूप से होने के कारण, धारा 20 (सी) सीपीसी की व्याख्या पर दिए गए इस न्यायालय के निर्णय रिट कार्यवाहियों पर भी लागू होंगे।मामले पर आगे चर्चा करने के लिए आगे बढ़ने से पहले यह इंगित किया जा सकता है कि अनुरोध किए गए तथ्यों के पूरे समूह को कार्रवाई का कारण बनाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता को डिक्री प्राप्त करने से पहले जो साबित करना आवश्यक है वह भौतिक तथ्य हैं।अभिव्यक्ति भौतिक तथ्यों को अभिन्न तथ्यों के रूप में भी जाना जाता है।

10. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के खंड (2) में उपयोग की गई अभिव्यक्तियों को ध्यान में रखते हुए, निर्विवाद रूप से भले ही कार्रवाई के कारण का एक छोटा सा हिस्सा न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में प्राप्त हो, न्यायालय के पास होगा -

मामले में अधिकार क्षेत्र।"

उनके प्रभुत्त्वों को आगे इस प्रकार देखा गयाः- "29. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के क्लॉ से (2) को ध्यान में रखते हुए, अब यदि कार्रवाई के कारण का कोई हिस्सा उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर उत्पन्न होता है, तो उसके पास एक रिट जारी करने का अधिकार क्षेत्र होगा।इस प्रकार, खजुर सिंह में निर्णय का कोई अनुप्रयोग नहीं है।

30. हालाँकि, हमें खुद को याद दिलाना चाहिए कि भले ही कार्रवाई के कारण का एक छोटा सा हिस्सा उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर उत्पन्न होता है, फिर भी वह अपने आप मे हो सकता है , इसे उच्च न्यायालय को योग्यता के आधार पर मामले का निर्णय लेने के लिए मजबूर करने वाला एक निर्धारक कारक नहीं माना जाएगा। उचित मामलों में, न्यायालय अपने विवेकाधीन अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से इनकार कर सकता है।

फोरम संयोजक।"

16. भारत संघ और अन्य बनाम अडानी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड और एक अन्य, (2002) 1 एस. सी. सी. 567 के मामले में, इस न्यायालय

यह अभिनिर्धारित किया गया कि किसी रिट याचिका पर विचार करने के लिए उच्च न्यायालय को अधिकारिता प्रदान करने के लिए उसे यह खुलासा करना चाहिए कि कार्रवाई के कारण के समर्थन में अनुरोध किए गए अभिन्न तथ्य एक कारण का गठन करते हैं ताकि न्यायालय को विवाद का निर्णय करने के लिए सशक्त बनाया जा सके और इसका पूरा या एक हिस्सा उसके अधिकार क्षेत्र में उत्पन्न हुआ।प्रतिवादीगण द्वारा अपने आवेदन में अनुरोध किया गया प्रत्येक तथ्य वास्तव में इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँचता है कि वे तथ्य न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर कार्रवाई के कारण को जन्म देते हैं, जब तक कि वे तथ्य ऐसे न हों जिनका मामले में शामिल कानून के साथ संबंध या प्रासंगिकता हो।इस न्यायालय ने टिप्पणी की:

"17. यह उपरोक्त से देखा जाता है कि प्रदान करने के लिए

एक रिट याचिका या एक विशेष दीवानी आवेदन पर विचार करने के लिए एक उच्च न्यायालय की अधिकारिता के रूप में इस मामले में, उच्च न्यायालय को कार्रवाई के कारण के समर्थन में अनुरोध किए गए पूरे तथ्यों से संतुष्ट होना चाहिए कि वे तथ्य एक कारण का गठन करते हैं ताकि अदालत को उस विवाद का निर्णय करने के लिए सशक्त बनाया जा सके जो कम से कम आंशिक रूप से उसके अधिकार क्षेत्र में उत्पन्न हुआ है। उपरोक्त निर्णय से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण द्वारा अपने आवेदन में प्रस्तुत प्रत्येक तथ्य वास्तव में इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँचता है कि वे तथ्य एक कारण को जन्म देते हैं।

न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर कार्रवाई की अनिवार्यता

जिन तथ्यों का अनुरोध किया गया है वे ऐसे हैं जिनका मामले में शामिल आई. एस. के साथ संबंध या प्रासंगिकता है। जिन तथ्यों का मामले या मामले में शामिल विवाद से कोई संबंध नहीं है, वे कार्रवाई के कारण को जन्म नहीं देते हैं ताकि संबंधित अदालत को क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र प्रदान किया जा सके। यदि हम इस सिद्धांत को लागू करते हैं तो हम देखते हैं कि याचिका के पैरा 16 में अनुरोध किए गए तथ्यों में से कोई भी तथ्य, हमारी राय में, तथ्यों के बंडल की श्रेणी में नहीं आता है जो एक विवाद को जन्म देने वाली कार्रवाई का कारण बनता है जो क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार प्रदान कर सकता है।

(23) उपरोक्त चर्चा की अगली कड़ी के रूप में, हमें दोनों रिट याचिकाओं को स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है। दोनों रिट याचिकाओं में क्रमशः प्रतिवादीगण संख्या 2 और 1 द्वारा पारित दिनांकित 14.03.2018 (अनुलग्नक पी-12) और 16.04.2018 (अनुलग्नक पी-16) आदेशों को निरस्त कर दिया जाता है। प्रत्यर्थी संख्या 2 को निर्देश दिया जाता है कि वह कानून के अनुसार 03.05.2017 को आयोजित नीलामी के अनुसरण में जारी किए गए घर

No.1037, प्लॉट संख्या 3, स्ट्रीट संख्या ई, सेक्टर 27-बी, चंडीगढ़ के संबंध में बिक्री प्रमाण पत्र को पंजीकृत करे।

पी. एस. बाजवा

अस्वीकरण :- स्थानीय भाषा मे अनुवादित निर्णयवादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा मे इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता सभी व्यवहारीक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यानयन के उद्देश्यों के लिए उपयुक्त रहेगा।

सुरेन्द्र शर्मा

अनुवादक